



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29042026-272142
CG-DL-E-29042026-272142

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2033]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 27, 2026/वैशाख 7, 1948

No. 2033]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 27, 2026/VAISAKHA 7, 1948

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
(कृषि और किसान कल्याण विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 2026

का. आ. 2106(अ).— केन्द्रीय सरकार, उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश, 1985 के खंड 20 घ के अनुसरण में हुए, राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक वर्ष के लिए, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ 3 में विनिर्दिष्ट विनिर्देशों के साथ निम्नलिखित नैनो उर्वरकों को उक्त सारणी के स्तंभ 4 में उल्लिखित कंपनी द्वारा विनिर्माण के लिए, अधिसूचित करती है, अर्थात्:--

1. नैनो डाई अमोनियम फॉस्फेट (तरल)

क. सं	मानक	विनिर्देश	विनिर्माता
1.	भार के आधार पर कुल नाइट्रोजन (एन के रूप में) प्रतिशत, न्यूनतम	1-2	कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड
2.	भार के आधार पर कुल फास्फोरस (पी ₂ ओ ₅ के रूप में) प्रतिशत, न्यूनतम	3-5	

3.	एक विमा में कण का आकार नैनो मीटर (एन एम) में		
	(क) डायनामिक लाईट स्कैटरिंग (डी एल एस) विश्लेषण के अनुसार द्रवगतिकी कण आकार	न्यूनतम 50 प्रतिशत भौतिक कण का आकार <100 एन एम होगा।	
	(ख) ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी (टी ई एम) विश्लेषण के अनुसार भौतिक कण का आकार	पदार्थ के न्यूनतम 50 प्रतिशत का आकार <100 एन एम होगा।	
4.	जीटा पोटेंशियल एम वी (+/- पैमाना) में	1 एम वी to 5 एम वी	

2. नैनो यूरिया (तरल)

1.	भार के आधार पर कुल नाइट्रोजन (एन के रूप में) प्रतिशत, न्यूनतम	1-5	मेसर्स रे नैनो विज्ञान और अनुसंधान केंद्र
2.	एक विमा में कण का आकार नैनो मीटर (एन एम) में		
	(क) डायनामिक लाईट स्कैटरिंग (डी एल एस) विश्लेषण के अनुसार द्रवगतिकी कण आकार	न्यूनतम 50 प्रतिशत भौतिक कण का आकार <100 एन एम होगा।	
	(ख) ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी (टी ई एम) विश्लेषण के अनुसार भौतिक कण का आकार	न्यूनतम 50 प्रतिशत कण का आकार <100 होगा।	
3.	जीटा पोटेंशियल एम वी (+/- पैमाना) में	>30	

3. नैनो डाई अमोनियम फॉस्फेट (तरल)

1.	भार के आधार पर कुल नाइट्रोजन (एन के रूप में) प्रतिशत, न्यूनतम	7-9	इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड
2.	भार के आधार पर फास्फोरस (पी ₂ ओ ₅ के रूप में) प्रतिशत, न्यूनतम	15-17	
3.	एक विमा में कण का आकार नैनो मीटर (एन एम) में		

	(क) डायनामिक लाईट स्कैटरिंग (डी एल एस) विश्लेषण के अनुसार द्रवगतिकी कण आकार	न्यूनतम 50 प्रतिशत भौतिक कण का आकार <100 एन एम होगा।	
	(ख) ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी (टी ई एम) विश्लेषण के अनुसार भौतिक कण का आकार	न्यूनतम 50 प्रतिशत कण का आकार <100 एन एम होगा।	
5.	जीटा पोटेंशियल एम वी (+/- पैमाना) में	>5	

2. विनिर्माता को निम्नलिखित निबंधनों और शर्तों का पालन करना होगा:-

- विनिर्माता यह सुनिश्चित करेगा कि नैनो उर्वरकों की कोई भी बलपूर्वक विक्रय न हो, अर्थात् उन्हें अन्य उर्वरकों या किसी भी अन्य प्रकार के कृषि इनपुट के साथ जोड़कर न विक्रय किया जाए;
- विनिर्माता नैनो उर्वरक के कंटेनर के लेबल पर, या नैनो उर्वरक के कंटेनर के साथ पैक किए जाने वाले एक अलग पर्चे पर, नैनो उर्वरक की फसल-वार खुराक, फसल की वह अवस्था जब नैनो उर्वरक का उपयोग किया जाना है, और नैनो उर्वरक के उपयोग की विधि को मुद्रित करेगा;
- विनिर्माता विभिन्न कृषि विज्ञान केंद्रों पर किसानों के लिए नैनो उर्वरक के उपयोग से होने वाले लाभों के प्रदर्शन सुनिश्चित करेगा।

[फा. सं. 4-29/2025 उर्वरक विधि]
फ्रैंकलिन एल. खोबंग, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture and Farmers Welfare)

ORDER

New Delhi, the 27th April, 2026

S. O. 2106(E). – In pursuance of clause 20 D of the Fertiliser (Inorganic, Organic or Mixed) (Control) Order, 1985, the Central Government hereby notifies the following Nano fertilisers with their specifications specified in column (3) of the Table below, to be manufactured by the company mentioned in column (4) of the said Table, for a period of **one year** from the date of publication of this Order in the Official Gazette ,namely:-

1. Nano Di Ammonium Phosphate (liquid)

S.No.	Parameter	Specifications	Name of Manufacturer
(1)	(2)	(3)	(4)
(1)	Total Nitrogen per cent. by weight, minimum	1-2	Coromandel International Limited
(2)	Total Phosphorus (as P ₂ O ₅) per cent. by weight, minimum	3-5	
(3)	Particle size in nanometer in one dimension		
(a)	Hydrodynamic particle size as per Dynamic Light Scattering (DLS) analysis	minimum 50 per cent. of the material shall be <100 nm	

(b)	Physical Particle Size as per Transmission Electron Microscopy(TEM) analysis	minimum 50 per cent. of the material shall be <100 nm	
(4)	Zeta Potential in mV (+/-scale)	1 mV to 5 mV	

2. Nano Urea (liquid)

(1)	Total Nitrogen per cent.by weight, minimum	1-5	M/s Ray Nano Sciences and Research Centre
(2)	Particle size in nanometer in one dimension		
(a)	Hydrodynamic particle size as per Dynamic Light Scattering (DLS) analysis	minimum 50 per cent. of the material shall be <100 nm	
(b)	Physical Particle Size as per Transmission Electron Microscopy (TEM) analysis	minimum 50 per cent. of the material shall be <100 nm	
(3)	Zeta Potential in mV (+/-scale)	>30	

3. Nano Di Ammonium Phosphate (liquid)

(1)	Total Nitrogen per cent. by weight, minimum	7-9	M/s Indian Farmers Fertiliser Cooperative
(2)	Total Phosphorus (as P ₂ O ₅) per cent. by weight, minimum	15-17	
(3)	Particle size in nanometer in one dimension		
(a)	Hydrodynamic particle size as per Dynamic Light Scattering (DLS) analysis	minimum 50 percent of the material shall be <100nm	
(b)	Physical Particle Size as per Transmission Electron Microscopy (TEM) analysis	minimum 50 per cent. of the material shall be <100 nm	
(4)	Zeta Potential in mV (+/-scale)	>5	

2. The manufacturer shall comply with the following terms and conditions:-

- i. The manufacturer shall ensure that there shall be no forced sale of Nano fertilisers by tagging with other fertilizers or any other kind of Agri inputs;
- ii. The manufacturer shall print on the label of the container of nano fertilizer or on a separate leaflet to be packed with container of Nano fertilizer, the crop wise dose of Nano fertilizer, crop stage at which the nano fertilizer is to be applied and method of application of Nano fertilizer;
- iii. The manufacturer shall ensure demonstrations to farmers at various Krishi Vigyan Kendras on advantage in using of Nano fertilizer.

[F. No. 4-29/2025 Fert Law]

FRANKLIN L. KHOBUNG, Jt. Secy.